खण्ड–21, अंक–3
बुधवार, 15 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(05 मार्च, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य :

विषय–सूची

विषय				पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	...	...	...	"क"
विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की माँग	...	...	...	1–5
प्रश्नोत्तर	...	...	...	5–30
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत पुनः उठाये जाने का प्रयास	...	...	...	30–34
नत्थी 'क'				35–36

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अनिल नौटियाल
3. श्रीमती अमृता रावत
4. श्रीमती आशा
5. श्री ओम गोपाल
6. सुश्री कैरन हिल्टन
7. श्री केदार सिंह रावत
8. श्री केदार सिंह फोनिया
9. श्री खजान दास
10. श्री खड़क सिंह बोहरा
11. श्री गगन सिंह
12. श्री गणेश जोशी
13. श्री गोपाल सिंह राणा
14. श्री गोविन्द लाल
15. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
16. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
17. श्री चन्दन राम दास
18. श्री जोगा राम टम्टा
19. श्री जोत सिंह गुनसोला
20. हाजी तस्लीम अहमद
21. श्री तिलक राज बेहड़
22. श्री दिनेश अग्रवाल
23. श्री दिवान सिंह
24. श्री नारायण पाल
25. काजी मौ0 निजामुद्दीन
26. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
27. श्री प्रकाश पन्त
28. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29. श्री प्रीतम सिंह
30. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
31. श्री प्रेमानन्द महाजन
32. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
33. श्री बलबीर सिंह नेगी
34. श्री बिशन सिंह चुफाल
35. श्री बंशीधर भगत
36. श्री बृज मोहन कोटवाल
37. श्री भगत सिंह कोश्यारी
38. श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी
39. श्री मदन कौशिक
40. श्री मनोज तिवारी
41. श्री मयूख सिंह
42. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
43. श्री मातबर सिंह कण्डारी
44. श्री मुन्ना सिंह चौहान
45. श्री यशपाल आर्य
46. श्री यशपाल बेनाम
47. चौ0 यशवीर सिंह
48. श्री रणजीत रावत
49. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
50. श्री राजकुमार
51. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53. श्रीमती बीना महराना
54. श्री शहजाद
55. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
56. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
57. श्री सुरेन्द्र राकेश
58. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59. श्री सुरेश चन्द जैन
60. डा0 हरक सिंह रावत
61. श्री हरभजन सिंह चीमा
62. श्री हरिदास
63. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे
अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(नेता प्रतिपक्ष, डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को पूर्वाह्न 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:40 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:50 तक के लिए बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष–(डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि लगातार हम सदन में इस बात को उठाते रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के प्रमाण–पत्र नहीं बन पा रहे हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल 04 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय सदस्य श्री हरिदास, काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा सुरेन्द्र राकेश की है। दूसरी सूचना माननीय श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री करन मेहरा की है। तीसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री तिलक राज बेहड़, श्री यशपाल आर्य, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह राणा, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल तथा श्री केदार सिंह रावत की है। चौथी सूचना माननीय मौ0 शहजाद, श्री नारायण पाल की है। मैं इन्हें नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण है इसे सुचारू रूप से होने दें। कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत हमारी 02 सूचनाऐं हैं, पहली सूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में है और दूसरी शिक्षा आचार्यों को रेगुलर नियुक्ति देने के सम्बन्ध में है। हमारा आपसे आग्रह है कि सारे कार्य को रोककर जो प्रदेश की ज्वलन्त समस्याएं हैं, इन पर चर्चा स्वीकार कर लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जहाँ तक जाति प्रमाण–पत्र का प्रश्न है, यह सर्वदलीय समिति के विचाराधीन है। जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण ''वेल'' में आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठें, जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-30 के बिन्दु संख्या-16 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''वह किसी समिति के समक्ष विषयों से अथवा समिति के सभापति अथवा समिति के प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विषयों से सम्बद्ध नहीं होगा।''

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया आप स्पष्ट कर दें कि जो पूर्व में जाति प्रमाण-पत्र बन रहे थे, वह बनते रहें, उसमें कोई व्यवधान न हो।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

श्रीमन्, पूर्व में जो शासनादेश निर्गत किया गया था, उसी के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। मान्यवर, जिलेवार सूचना प्राप्त कर ली गयी है और किसी भी जनपद में प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। जिलों से प्राप्त सूचना मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। (तत्पश्चात उक्त सूचना माननीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध करायी गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और सदन को व्यवस्थित करें। (घोर व्यवधान) माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री बलबीर सिंह नेगी जी, श्री सुरेन्द्र राकेश जी, काजी निजामुद्दीन जी, श्री शहजाद ज़ी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री जोत सिंह गुनसोला जी, श्रीमती अमृता रावत जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, श्री केदार सिंह रावत जी, श्री हरिदास जी, श्री नारायण पाल जी, श्री मयूख महर जी, श्री तस्लीम अहमद जी, चौ0 यशवीर सिंह जी कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपया पीठ से निर्देश कर दें कि सन् 2006 से पूर्व जिस व्यवस्था के तहत प्रमाण–पत्र बन रहे थे, उसको यथावत रखा जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया आप सदन को व्यवस्थित कराएं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सदन नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। विपक्ष के लोग सदन को चलने देना नहीं चाहते हैं। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बातें कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, विपक्ष की सदन को चलाने की मंशा नहीं है, यह जनता के हित में नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सदन की कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि श्री नारायण पाल, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री प्रेमानन्द महाजन, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री तिलक राज बेहड़, श्री सुरेन्द्र राकेश, काजी निजामुद्दीन, श्री केदार सिंह रावत, श्री मयूख महर, श्री जोत सिंह गुनसोला, मौ0 शहजाद, श्रीमती अमृता रावत, चौ0 यशवीर सिंह जी कृपया, आप सभी लोग सदन का त्याग कर दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय पीठ से निर्देश हो जाए कि जिस प्रकार वर्ष 2006 से पूर्व प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे थे उसी प्रकार आज भी प्रमाण–पत्र निर्गत होते रहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जो निर्देश पीठ से दिये जा रहे हैं, कृपया उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा आचार्यों का जीवन खतरे में है, वे भूख हड़ताल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

सड़क दुर्घटना में मृतक आश्रितों को तत्काल राहत राशि प्रदान करने की योजना

*1–श्री शहजाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को तत्काल राहत राशि प्रदान करने की कोई योजना 8 मार्च, 2007 को शुरू की गयी है ?

यदि हाँ, तो इस योजना का प्रारूप क्या है ?

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत कितने परिवारों को कितनी तत्काल राहत राशि प्रदान की गयी है ?

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि 8 मार्च, 2007 से 30 नवम्बर, 2007 तक हरिद्वार जनपद में कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है और तत्काल राहत राशि के रूप में कितना धन अवमुक्त किया गया है ?

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी हाँ।

सम्बन्धित शासनादेश संख्या–41/पीएस/प्र0स0परिवहन/07 दिनांक 12–03–2007 संलग्न है। †

दिनांक 08 मार्च, 2007 से 20 फरवरी, 2008 तक उपरोक्त शासनादेश एवं उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 के प्राविधानानुसार 316 मृतकों के आश्रितों एवं 856 घायलों को कुल रुपये 1,95,15,000.00 की धनराशि वितरित की गई है।

दिनांक 08–03–2007 से 30–11–2007 तक हरिद्वार जनपद में सड़क दुर्घटना में 33 यात्रियों की मृत्यु हुई।

राहत राशि के सम्बन्ध में 03 मृतक आश्रितों को रु0 1,50,000/– का भुगतान कर दिया गया है। शेष के सम्बन्ध में यथाशीघ्र जाँच पूर्ण कराने के उपरान्त पात्र व्यक्तियों को देय राहत राशि वितरित की जायेगी।

जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों से सटे गाँवों में जल प्रदूषण एवं निदान

*2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों से सटे हुए गाँवों में पीने का पानी दूषित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या सरकार जनहित में इन कारणों को दूर करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल एवं सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

पीने के पानी के दूषित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ। पीने का पानी दूषित पाया जाता है तो इसके कारणों को दूर किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

† (देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 35–36 पर)

जनपद पौड़ी के वि0स0 बीरोंखाल अन्तर्गत गाँवों में नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति तथा प्रगति का विवरण

*3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से गाँव हैं, जिनमें नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति न होने की शिकायतें रहती हैं ?

क्या सरकार उक्त गाँवों में नियमित एवं व्यवस्थित. जलापूर्ति सुनिश्चित करने/करवाने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही/प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

कब तक उक्त गाँवों की पेयजल समस्या का समाधान किया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल की बीरोंखाल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 442 ग्रामों में सम्मिलित 542 बस्तियों में से (228एफ0सी0 बस्तियों को छोड़कर) 310 पी0सी0 एवं 13 एन0सी0 श्रेणी की बस्तियों में नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति न होने की शिकायत रहती है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में 2 एन0सी0 एवं 22 पी0सी0 बस्तियों के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 31–01–08 तक 2 एन0सी0 एवं 14 पी0सी0 बस्तियों को पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है, तथा 8 पी0सी0 बस्तियों को मार्च, 2008 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2012 तक उक्त गाँवों को पेयजल से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।

मनेरीभाली द्वितीय चरण में कार्य कर रही "राजकुमार कन्सट्रक्शन" कम्पनी को 'श्रृंग' कम्पनी के नाम से चलाये जाने पर कार्यवाही

*4–श्री केदार सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि मनेरीभाली द्वितीय चरण में कार्य कर रही राजकुमार कन्सट्रक्शन कम्पनी ब्लैक लिस्टेड हो गयी थी तथा उन्हीं संचालकों/मालिकों द्वारा पुनः नया नाम श्रृंग कम्पनी रखा गया है ?

यदि हाँ, तो सरकार इस कम्पनी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मैसर्स राजकुमार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सिंचाई विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत पूर्व में मैसर्स राजकुमार कन्सट्रक्शन कम्पनी अनुबन्ध सं0 01/एस0ई0/83–84, दिनांक 23–01–1984 के अन्तर्गत कार्य कर रही थी। मैसर्स राजकुमार कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 का नाम भारत सरकार के विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले के विभाग द्वारा कम्पनी एक्ट 1956 के सैक्शन–21 के अन्तर्गत मैसर्स श्रृंग कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 रखा गया है, जो वर्तमान में अनुपूरक अनुबन्ध संख्या 01 (एस)/एसई/83–84/2002–03 दिनांक 03–07–2002 के अन्तर्गत श्रृंग कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के नाम से कार्य कर रही है,

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में सम्भावित पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार की कार्ययोजना एवं सर्वेक्षण

*5–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में भविष्य में सम्भावित पेयजल संकट की दृष्टि से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण/चिन्हीकरण किया गया है ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है और भविष्य में उक्त पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सम्भावित जल संकट के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण का कार्य किस विशेषज्ञ संस्था से कराया जा रहा है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जनवरी, 2008 में अवशेष 3511 एन0सी0 एवं 11272 पी0सी0 बस्तियों को वर्ष 2012 तक सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के आधार पर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है तथा शहरी क्षेत्रों में राज्य सैक्टर नागर कार्यक्रम जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं ए0डी0बी0 के सहयोग से शहरी मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वेक्षण का कार्य पेयजल निगम, जल संस्थान एवं स्वजल द्वारा कराया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल के साथ–साथ सरप्लस जल का सिंचाई हेतु उपयोग

*6–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों की कमी को देखते हुए क्या सरकार पेयजल योजनाओं के डिजाइन को इस प्रकार बनाने पर विचार करेगी जिससे पेयजल के साथ–साथ सरप्लस जल का सिंचाई में भी उपयोग किया जा सके ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के पैटर्न पर भी विचार करेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में अधिसंख्यक पेयजल योजनायें गुरूत्व स्रोतों से संचालित हैं। यदि स्रोत में आवश्यकता से अधिक पानी उपलब्ध है, तो वर्तमान डिजाइन के अनुसार योजना हेतु वांछित जल ही टैप किया जाता है। कुछ ग्रामों/तोकों हेतु गुरूत्व स्रोत उपलब्ध नहीं होने अथवा सूखने के कारण पम्पिंग पेयजल योजनायें बनाई गई हैं। पम्पिंग पेयजल योजनायें विद्युत आधारित होने के कारण इनके संचालन एवं रख–रखाव में अत्यधिक व्यय आता है। अतः यदि इन योजनाओं के अतिरिक्त जल को सिंचाई हेतु प्रयुक्त करने के लिए वर्तमान डिजाइन में परिवर्तन किया जाता है तो योजना अत्यधिक मंहगी एवं अव्यवहारिक हो जायेगी।

जी नहीं।

जनपद टिहरी अन्तर्गत ग्राम सभा ढालवाला में हाथी से उत्पन्न खतरा एवं निदान

*7–श्री ओम गोपाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा ढालवाला में हाथी आये दिन घरों की चहारदीवारी व गेट तोड़ने व दुकानों के शटर तोड़ कर उत्पात मचा रहे हैं जिससे आबादी वाले क्षेत्र में हाथी की लगातार आमद से ग्रामीणों को जानमाल व खड़ी फसलों को नुकसान पहुँच रहा है जिस कारण गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या वन मंत्री जी ग्राम सभा ढालवाला में हाथी द्वारा किये जा रहे उत्पात व आतंक को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जंगली हाथियों से सम्भावित नुकसान से बचाव के उद्देश्य से गाँव की सीमा पर 620 मीटर लम्बी ऊर्जा तारबाड़ उरेडा के माध्यम से लगाई गई है। गाँव में हाथियों के प्रवेश करने की दृष्टि से संवेदनशील तीन स्थानों पर 151 मीटर ऐलीफेन्ट प्रूफ ट्रैन्च भी खुदवाई गई है तथा हाथी को गाँव की सीमा से दूर रखने हेतु वन कर्मियों द्वारा नियमित रात्रि गश्त की जाती रही है। वन कर्मियों द्वारा हाथियों को ग्राम की सीमा से दूर रखने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिकरोढ़ा पेयजल योजना हेतु वर्ष 2001–02 में अवमुक्त धनराशि की जाँच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई

*8–श्री सुरेन्द्र राकेश–

द्वितीय सत्र 2007 के द्वितीय बुधवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या दो (2) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिकरोढ़ा पेयजल योजना हेतु वर्ष 2001–02 में अवमुक्त बीस लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किसके द्वारा किया गया है ?

क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करेंगे?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा क्या निर्णय लिया गया है तथा योजना का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वर्ष 2001–02 में अवमुक्त धनराशि का उपयोग तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, हरिद्वार द्वारा किया गया है।

जनपद हरिद्वार के प्रभारी मंत्री मा0 बंशीधर भगत जी द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को उक्त प्रकरण में पूर्ण जाँच रिपोर्ट से जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति को अवगत कराने एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

जिला योजना अनुश्रवण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत योजना हेतु राज्य सैक्टर से धनराशि प्राप्त कर समस्त नये कार्य पेयजल उपभोक्ता समितियों के गठन उपरान्त उनके प्रस्ताव प्राप्त होने पर सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के अन्तर्गत कराये जाने हैं।

सिडकुल हरिद्वार में नेगेटिव लिस्टेड "सोमानी फोम" नामक कम्पनी को उद्योग लगाने की अनुमति

*9—श्री गोपाल सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिडकुल हरिद्वार में सोमानी फोम नामक टायर मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग स्थापित हुआ है ?

क्या यह सत्य है कि देश के 16 राज्यों द्वारा सोमानी फोम कम्पनी को नेगेटिव सूची में डाला गया था ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यावरणीय संवेदनशील राज्य उत्तराखण्ड में नेगेटिव लिस्टेड कम्पनी को उद्योग लगाने की अनुमति किस आधार पर दी गयी तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बंशीधर भगत—

जी नहीं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल हरिद्वार से प्राप्त 'नेगेटिव लिस्टफॉर उत्तरांचल एण्ड हिमाचल प्रदेश के अनुसार नेगेटिव लिस्ट में आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10—श्री केदार सिंह रावत—तृतीय सोम के तारा0 14 में स्थानान्तरित।

मनेरी भाली द्वितीय चरण में कार्यरत कम्पनी को डी0आर0बी0 द्वारा मुआवजे की अदायगी

*11—श्री केदार सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मनेरी भाली द्वितीय चरण में कार्यरत कम्पनी को 70 करोड़ रुपये काम न करने के मुआवजे के रूप में डी0आर0बी0 द्वारा अदा किये गये ?

यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मनेरी भाली द्वितीय चरण में कार्यरत कम्पनी को 71.04 का कुल भुगतान किया गया है।

मनेरी भाली द्वितीय चरण के कार्यों के निष्पादन हेतु किये गये अनुबन्ध की संगत धाराओं के अनुसार गठित डी0आर0बी0 डिसप्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर भुगतान किया गया।

वन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण हेतु स्वीकृति राजधानी में ही करने की व्यवस्था

*12–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में सड़क इत्यादि के निर्माण में पड़ने वाली 5 हेक्टेयर तक वन भूमि की स्वीकृति हेतु लखनऊ जाना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि स्वीकृति हेतु राज्य की राजधानी में ही व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा देहरादून में क्षेत्रीय/कैम्प कार्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार के ग्राम लहबोली में स्थित "जगदीश ब्रिक फील्ड" को पर्यावरण प्रदूषण द्वारा प्रदान अनापत्ति प्रमाण–पत्र

1–श्री शहजाद

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ग्राम लहबोली (नहारपुर) में स्थित जगदीश ब्रिक फील्ड को पर्यावरण प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है ?

यदि हाँ, तो किन आधारों पर प्रदान किया गया है ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार स्थित ऊपरी गंगनहर के किनारे निर्मित काँवड़ मार्ग व बाउन्ड्री वाल में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता व व्यय धनराशि

2—श्री शहजाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार स्थित ऊपरी गंगनहर के किनारे पर बनाये गये काँवड़ मार्ग व बाउन्ड्री वाल में प्रयोग की गयी सामग्री ईंट, सीमेंट व रेत की गुणवत्ता के मानक क्या हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त काँवड़ मार्ग व बाउन्ड्री वाल के निर्माण में कितना धन व्यय किया गया और इसकी निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त काँवड़ मार्ग व बाउन्ड्री वाल की कितनी समय सीमा तक गारन्टी दी गयी थी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

हरिद्वार स्थित ऊपरी गंगनहर के किनारे पर बनाये गये काँवड़ मार्ग व बाउन्ड्री वाल में प्रयोग की गयी सामग्री ईंट, सीमेन्ट व रेत की गुणवत्ता के मानक निम्नवत हैं :—

1. ईंट—सिंचाई विभाग की विशिष्टयों के अनुसार प्रथम श्रेणी की ईंट साईज 22.5 सेमी0 x 11.1 सेमी0 x 7 सेमी0 संपीड़न शक्ति (किग्रा0 प्रति वर्ग सेमी0) 100 से 125
2. सीमेन्ट—सीमेन्ट (पी0पी0सी0) भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्थापित मान (आई0एस0 1489 भाग प्रथम के अनुसार)
3. रेत—मोटी रेत (कोर्स सैंड) एवं बारीक रेत (फाईन सैंड) के लिए फाईनैंस मेडुलस क्रमशः 2.5 एवं 1 से कम नहीं होनी चाहिए।

काँवड़ मार्ग एवं बाउन्ड्री वाल के निर्माण में धनराशि रु0 900.76 लाख व्यय की गयी। अनुबन्ध की शर्त के अनुसार उक्त काँवड़ मार्ग एवं बाउन्ड्री वाल का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर कार्य पूर्ण होने के 6 माह बाद तक धरोहर धनराशि अवमुक्त करने की समय सीमा दी गयी थी।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन

3—श्रीमती अमृता रावत—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन—कौन से नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्ग हैं, जिन पर अभी तक नियमित बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवाएं संचालित न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक उक्त मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बंशीधर भगत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निम्नलिखित नवनिर्मित एवं विस्तारित मार्ग हैं जिन पर बसों का संचालन नहीं हो रहा है :–

1. खाण्डासैण्ड–बहेड़ाखाल मार्ग।
2. उफल्डा–अरकनी–खन्दूखाल–मुच्छियाली–देवलगाँव–चराकोट–जामलाखाल मार्ग।
3. कुण्जखाल–ढिस्वाणी मार्ग।
4. टेका–केवर्स–नलई–टंगरौली मार्ग।

   1. खाण्डासैण्ड–बहेड़ाखाल मार्ग–सवारियों का समुचित लोड फैक्टर मिलने पर,
   2. उफल्डा–अरकनी–खन्दूखाल–मुच्छियाली–देवलगाँव–चराकोट–जामलाखाल मार्ग उपयुक्त हो जाने पर,
   3. कुण्जखाल–ढिस्वाणी मार्ग–समय सारिणी निर्धारित होने पर।
   4. टेका–केवर्स–नलई–टंगरौली मार्ग–संयुक्त सर्वेक्षण के उपरान्त मार्ग वाहन संचालन हेतु उपयुक्त होने पर।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत बस सेवाओं का नियमित संचालन

4–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बस सेवाओं के नियमित संचालन के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सम्बोधित क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख का पत्रांक बहेड़ाखाल/7–परिवहन/2007–08 दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 कब प्राप्त हुआ है और पत्र में वर्णित समस्याओं के समाधान में उठाये गए बिन्दुओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर भगत–

संदर्भित पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को दिनांक 11–10–2007 को प्राप्त हुआ। सम्प्रति कार्यवाही गतिमान है।

केन्द्रीय जनजाति व परम्परागत वनवासी अधिकार अधिनियम प्रदेश में लागू किए जाने के तहत कार्यवाही

5–श्री केदार सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2006 का पारित व वर्ष 2007 में लागू केन्द्रीय जनजाति व परम्परागत वनवासी अधिकार अधिनियम प्रदेश में लागू हो गया है ?

यदि हाँ, तो इसके तहत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

शासन स्तर से विभिन्न समितियों के गठन की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद बागेश्वर में सीवर लाईन की विस्तारीकरण योजना

6–श्री चन्दन राम दास–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में सीवर लाईन के विस्तारीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

बागेश्वर नगर का चयन उत्तराखण्ड अरबन सेक्टर डेवलमपेन्ट इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम (यू0यू0एस0डी0आई0पी0) में हो जाने के फलस्वरूप एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से वर्ष 2008–2014 तक नगर की जलोत्सारण व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्रनगर वि0स0 के अन्तर्गत पट्टी क्वीली/पालकोट धारकरिया हेतु स्वीकृत कोटेश्वर पम्पिंग योजना निर्माण में तीव्रता

7–श्री ओम गोपाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि नरेन्द्रनगर विधान सभा के अन्तर्गत पट्टी क्वीली/पालकोट धारकरिया के लिए कोटेश्वर पम्पिंग योजना दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी लेकिन उपरोक्त योजना का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त योजना का निर्माण द्रुत गति से करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर वर्ष 2011 तक योजना के कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को पुराने व सूखे इमारती वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु समय सीमा

8–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों को पुराने व सूखे एवं इमारती वृक्षों को काटने की अनुमति प्रार्थना–पत्र देने के उपरान्त कितने समय बाद मिलती है?

क्या सरकार शासनादेश एवं अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

वन, बाग या सार्वजनिक भू–गृहादि में उगे हुए वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर और किसी गिरे हुए वृक्ष के सम्बन्ध में, ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर अनुमति दिये जाने का प्राविधान है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के धनौल्टी वि0स0 में उपयुक्त मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन

9–श्री खजान दास–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत कुल कितने मोटर मार्ग भारी वाहनों/परिवहन निगम की बसों के आवागमन के लिए उपयुक्त हैं।

तथा कितने मोटर मार्गों पर वर्तमान में परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी जनहित में भारी वाहनों के लिए उपयुक्त मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों के संचालन की स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत कुल 09 मोटर मार्ग भारी वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त हैं।

इन मार्गों पर मैसर्स टी0जी0एम0ओ0सी0 एवं यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ ऋषिकेश की बसें संचालित हैं। वर्तमान में उपरोक्त किसी भी मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत काण्डी में पेयजल योजना की माँग एवं स्वीकृति

10—श्री खजान दास—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काण्डी के ग्रामीणों द्वारा काण्डी पेयजल योजना की माँग लम्बे समय से की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी जनहित में अति आवश्यक काण्डी पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह—

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 से सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) लागू हो जाने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन करने एवं उससे प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के वि0ख0 रायपुर अन्तर्गत विवेकानन्द फेस—II में पेयजल समस्या

11—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के वि0ख0 रायपुर के अन्तर्गत विवेकानन्द फेस—II में पेयजल की गम्भीर समस्या है जिस कारण उक्त क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को पीने का पानी सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि वर्तमान समय में उक्त ग्राम में लगभग 100 परिवार निवास कर रहे हैं तथा पेयजल समस्या के निराकरण हेतु लोगों को टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है ?

क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

नत्थनपुर पेयजल योजना से विवेकानन्द फेज–II हेतु पाईप लाईन विस्तार करने का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है तथा योजना पर बजट की उपलब्धता के अनुसार परीक्षणोपरान्त धनावंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जल स्रोतों के कैचमेन्ट में जल संवर्धन हेतु उपाय एवं निश्चित क्षेत्रफल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर विचार

12–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जल स्रोतों के रिचार्जिग में जबरदस्त कमी हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या जल स्रोतों के कैचमेन्ट में जल संवर्धन के विशेष कार्य विशेषज्ञों की सलाह पर कराये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार कैचमेन्ट के एक निश्चित क्षेत्रफल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

स्रोत संवर्धन हेतु विशेषज्ञ विभाग यथा जलागम, वन, स्वजल, पेयजल, सिंचाई, केन्द्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की आदि को सम्मिलित करते हुए शासनादेश सं0 759/XXIX(2)/2007 दिनांक 19–06–07 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जल संवर्धन मिशन गठित किया गया है। जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर भी क्रमशः जनपद स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय जल संवर्धन मिशन का गठन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल हेतु चयनित जल स्रोत कैचमेन्ट में आवश्यकतानुसार 05 हैक्टेयर तक के सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र बनाये जानें का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी स्थित नरेन्द्रनगर में पेयजल योजना की जलापूर्ति क्षमता बढ़ाये जाने हेतु योजना

13–श्री ओम गोपाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में भरपूर पेयजल योजना से स्थानीय जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि इस पेयजल योजना की क्षमता पेयजल माँग की अपेक्षा कम है ?

यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त पेयजल योजना की जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने हेतु योजना का विस्तार करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रश्नगत पेयजल योजना से स्थानीय जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

जी नहीं। जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भरपूर पेयजल योजना से स्थानीय जनता को उनकी माँग के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार उल्लिखित स्थिति में योजना के विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत एन्दी–भड़ेती, नैनबाग–घोडाखुरी, तथा मसूरी–सुआखोली–थत्यूड मोटर मार्ग पर गरखेत तक बस सेवा का संचालन

14–श्री खजान दास–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत एन्दी–भड़ेती मोटर मार्ग, नैनबाग–घोडाखुरी मोटर मार्ग, मसूरी–सुआखोली–थत्यूड मोटर मार्ग पर गरखेत तक उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवायें शुरू किये जाने हेतु क्षेत्रवासी लम्बे समय से माँग करते आ रहे हैं ?

यदि हाँ, तो अब तक भी उक्त मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी जनहित में उक्त मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों का संचालन की स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

उक्त मार्गों पर मैसर्स टी0जी0एम0ओ0सी0 एवं यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ ऋषिकेश की बसें संचालित हैं।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पेयजल हेतु स्वैप प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में निर्माणाधीन योजनाएं तथा अवमुक्त धनराशि

15–श्री यशपाल बेनाम–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वैप प्रणाली के अन्तर्गत अभी तक राज्य में कुल कितनी योजनायें निर्माणाधीन हैं और कुल कितनी धनराशि येजनाओं के लिए स्वीकृत हुई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनायें कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

स्वैप प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 136 पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। जिसके लिए रु0 2027.81 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की 136 पेयजल योजनाओं में से 50 योजनाओं का निर्माण कार्य मार्च, 2008 तथा 86 पेयजल योजनाओं को वर्ष 2008–09 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत घाट लिफ्टिंग पेयजल योजना का पुनर्गठन

16–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि पिथौरागढ़ में घाट लिफ्टिंग पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पुनर्गठन कार्य में क्या लागत आयेगी तथा पुनर्गठन से शहर की जनता को पर्याप्त जल उपलब्ध हो जायेगा व वर्तमान पुनर्गठन का स्टीमेट पिथौरागढ़ की कितनी जनसंख्या को मानक मानकर बनाया जा रहा है ?

क्या सत्य है कि वर्तमान में घाट पेयजल योजना के खराब होने पर पिथौरागढ़ शहर के पुराने स्रोत शिवालय धारा, रईधारा, जी0आई0सी0 धारा, चिमस्या नौला, खड़कोट नौला, कोत का नौला, चन्द्रभागा धारा इत्यादि से शहर की जनता को जल उपलब्ध होता है ?

यदि हाँ, तो क्या विभाग के पास स्रोत के रखरखाव हेतु कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

योजना का डिजाइन वर्ष 2040 तक नगर की अभिकल्पिक जनसंख्या 125018 हेतु विरचित किया जा रहा है। जिस हेतु लगभग 6000.00 लाख की लागत सम्भावित है। जिससे जनता को पर्याप्त जल उपलब्ध हो जायेगा।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ नगर में स्थित पुराने जल स्रोत शिवालय धारा, रई धारा, जी0आई0सी0 धारा, चिमस्या नौला, खडकोट नौला, कोट का नौला, चन्द्रभागा धारा स्रोतों में से मात्र एक स्रोत कोत का नौला को छोड़कर इनकी मरम्मत/सुधारीकरण कार्य नगर पालिका परिषद्/जिला पंचायत द्वारा कराया जाता है।

पिथौरागढ़ शहर हेतु निर्माणाधीन सीवर लाईन

17—श्री मयूख सिंह—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ शहर हेतु निर्माणाधीन सीवर लाईन का कार्य नियत समय से विभाग द्वारा पूंर्ण कर लिया जायेगा ?

क्या उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

मार्च 2010 तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के वि0ख0 मोरी अन्तर्गत आराकोट—चिवां मोटर मार्ग पर दि0 5—11—06 को हुई बस दुर्घटना में मृतकाश्रितों व घायलों हेतु आर्थिक सहायता

18—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवाँठा—

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र द विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत आराकोट—चिवां मोटर मार्ग पर दि0 05—11—06 को हुई बस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मृतक आश्रितों व घायलों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

तत्प्रभावी नियमों के अनुसार मृतक आश्रित तथा अंगक्षति से प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक सहायता देय थी। तद्नुसार दुर्घटना में मृत एक यात्री एवं बस चालक के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है। घायलों की अंग क्षति न होने के कारण नियमानुसार उन्हें आर्थिक सहायता देय नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार घायलों को अंगक्षति न होने के कारण आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है व मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है।

हरिद्वार जनपद में मोटर मार्गों की संख्या एवं उनमें संचालित परिवहन निगम बसों की संख्या

19–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में कितने मोटर मार्ग (परिवहन मार्ग) हैं तथा कितने मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं ?

क्या सरकार मुख्य मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

हरिद्वार जनपद में कुल 16 मोटर मार्ग हैं। 08 मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार बस सेवा संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला ऊधमसिंह नगर स्थित हरिपुरा तथा बौर जलाशय में अधिगृहीत कृषि भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित

20–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर स्थित हरिपुरा जलाशय एवं बौर जलाशय निर्माण के समय अधिगृहीत की गई कृषि भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जिला ऊधमसिंह नगर स्थित हरिपुरा जलाशय एवं बौर जलाशय के निर्माण हेतु अधिगृहीत की गयी कृषि भूमि इन जलाशयों के निर्माण में प्रयुक्त हुई है। इसके बदले में वन विभाग की कुछ भूमि सिंचाई विभाग को प्राप्त करनी है। इस हेतु कार्यवाही प्रचलित है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

थरकोट झील का कार्य प्रारम्भ न होने के कारण

21–श्री मयूख सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन मंत्री द्वारा गत वर्ष 20 मार्च, 2007 को थरकोट झील का शिलान्यास किया गया था ?

क्या उक्त झील हेतु 80 लाख रु0 शासन से कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो एक वर्ष व्यतीत होने व धन उपलब्ध होने के उपरान्त भी उक्त झील का कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा मात्र रु0 15.00 लाख की धनराशि ही अवमुक्त की गयी है।

तकनीकी कारणों से प्रस्तावित झील का स्थल परिवर्तन होने के कारण विस्तृत सर्वेक्षण/प्लान बनाने हेतु आई0आई0टी0 रुड़की को संदर्भित किया गया है। आई0आई0टी0 रुड़की से परीक्षणोंपरान्त ही झील का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोसी नदी पर बर्शिमी बाँध योजना

22–श्री मनोज तिवारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या को देखते हुए कोसी नदी में बर्शिमी बाँध बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक स्वीकृत हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ। कोसी नदी में बहुउद्देशीय बाँध बनाये जाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। अनुसंधान की रिपोर्ट के आधार पर योजना की स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा नगर की सरयू–शेराघाट पम्पिग योजना की स्वीकृति

23–श्री मनोज तिवारी–

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 2–7–07 को नियम–300 के अन्तर्गत अल्मोड़ा विधान सभा, अल्मोड़ा नगर की भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए सरयू–शेराघाट पम्पिंग योजना की स्वीकृति विषयक सूचना के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

अल्मोड़ा शहर को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरयू नदी के शेराघाट नामक स्थान से सरयू–अल्मोड़ा स्रोत संवर्द्धन पेयजल योजना का प्राक्कलन गठित कर लिया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण से निर्मित जलाशय से उत्तरकाशी के जलमग्न प्रभावितों का पुनर्वास

24–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण से निर्मित जलाशय से जोशियाड़ा, ज्ञानसू तथा वाल्मिकी बस्ती उत्तरकाशी के कुल कितने आवास जलमग्न होंगे तथा प्रभावितों का पुनर्वास कब तक करा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण के निर्मित जलाशय से जोशियाड़ा, ज्ञानसू तथा वाल्मिकी बस्ती के कुल 72 आवासीय भवन जलाशय के अधितम जलस्तर 1108 मी0 से प्रभावित होंगे। भवनों के पुनर्वास के सम्बन्ध में जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा प्रभावित परिवार के लोगों के साथ हुई वार्ता के अनुसार पुनर्वास योजना तैयार की जा रही है। योजना अनुमोदन के उपरान्त पुनर्वास का कार्य किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में मुख्य अभियन्ता के कुल स्वीकृति पदों के सापेक्ष कार्यरत मुख्य अभियन्ताओं की संख्या

25–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम में मुख्य अभियन्ता के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

एवं वर्तमान में उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने मुख्य अभियन्ता कार्यरत हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम में मुख्य अभियन्ता के कुल चार पद स्वीकृत हैं।

वर्तमान में तीन मुख्य अभियन्ता कार्यरत हैं।

रुद्रप्रयाग के ग्राम भणज में पेयजल लाईन की मरम्मत

26–श्रीमती आशा–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम भणज में वर्ष 2006–07 में बिछायी गई योजना लाईन विगत समय से बन्द पड़ी हुई है ?

यदि हाँ, तो उसके रखरखाव/मरम्मत हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

योजना ग्राम सभा के अनुरक्षणाधीन है तथा ग्राम सभा को हस्तान्तरित योजनाओं के रखरखाव हेतु ग्राम्य विकास आयुक्त के माध्यम से ग्राम सभाओं को धन उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जलौनी लकड़ी की दरों में वृद्धि की पुनर्समीक्षा

27–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जलौनी की लकड़ी की दरों में तीन गुना से अधिक मूल्य में वृद्धि कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान प्रचलित दरों की पुनर्समीक्षा कर जलौनी की दरें पूर्ववत् रखेगी ?

यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 01:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये और नारे बाजी करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों से सदन छोड़ने के लिए अनुरोध किया गया था, वे कृपया सदन छोड़ दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है, आपका अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन यह एक तरह से गलत परम्परा हो जायेगी। कृपया इस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पहले जिन माननीय सदस्यों से सदन छोड़ने का अनुरोध किया गया है, वे सदन छोड़ दें। फिर इस पर पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अनुरोध किया गया है कि आप अपने आदेश पर पुनर्विचार कर लें। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सरकार पूरी तरह से इस विषय पर गम्भीर है और जो पूर्ववत् व्यवस्था जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है, उसका कड़ाई से पालन हो, ऐसा निर्देशित करा रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण कर लें। मान्यवर, आपके माध्यम से सदाशयता मिले, जिससे इस पर पुनर्विचार किया जा सके।

("वेल" में खड़े भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में बैठ गये और पूर्ववत् नारेबाजी करते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से राज्य बना है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, आप कृपया बैठ जायें। आपकी बात नहीं सुनी जायेगी।

यहाँ पर एक बात यह आ रही है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप अपने आदेश पर पुनर्विचार कर लें और दूसरी तरफ मेरी बात को माननीय सदस्य सुनने को भी तैयार नहीं हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने को भी आप लोग तैयार नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं और सभी माननीय सदस्य प्रदेश की समस्या को यहाँ पर रखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र को लेकर यह समस्या हमारे सदस्यों ने आपके सम्मुख रखी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने निर्देश पर पुनर्विचार कर लें। इसके बाद यहाँ पर सरकार का वर्जन आ जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि अपने स्थान पर चले जायं। पुनर्विचार तो तभी होगा जब सभी माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर चले जायेंगे और जिन माननीय सदस्यों को सदन छोड़ने के लिए इंगित किया गया है, वे सदन को छोड़ेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देश सर्वोपरि हैं, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने आदेश पर पुनर्विचार कर लें। चूँकि यह उत्तराखण्ड के सदन के लिए कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। मेरा पीठ पर कोई आक्षेप नहीं है। फिर भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे और जिन माननीय सदस्यों को सदन छोड़ने के लिए इंगित किया गया है वे अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस पर पुनर्विचार कैसे हो पायेगा ?

("वेल" में बैठे माननीय सदस्यों के एक साथ नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह सदन नियमों और कानूनों से चलता है। पीठ से निर्देश आये हैं। श्रीमन्, आपके निर्देशों का पालन होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सभी सदस्यों को व्यवस्थित करने की कृपा करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री नारायण पाल जी, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन जी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी, माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत जी, माननीय सदस्य श्री मयूख महर जी, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी, माननीय सदस्य मौ0 शहजाद जी, माननीय श्री हरिदास जी, माननीय श्री तस्लीम अहमद जी, माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत जी, माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह जी, मेरा फिर आपसे अनुरोध है, कृपया सदन छोड़ दीजिए।

("वेल" में बैठे सभी माननीय सदस्यों और सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 01:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

कतिपय विषयों को नियम—310 के अन्तर्गत पुनः उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष—

कृपया आसन ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में बैठे थे।)

श्री अध्यक्ष—

जिन माननीय सदस्यों के नाम बाहर जाने के लिए पुकारे गये हैं, वह कृपया बाहर चले जायं।

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, हमें यह जानकारी नहीं है कि उसमें किस—किस के नाम हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपसे अनुरोध है कि जिन–जिन सदस्यों का नाम पुकारा गया है, वह कृपया बाहर चले जायं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, किस–किस के नाम हैं, यह तो जानकारी हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन अपराह्न 4:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 4:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 04:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सभी माननीय सम्मानित सदस्यगण इस नवसृजित राज्य में अवगत हैं कि इस पीठ का माननीय श्री प्रकाश पन्त, माननीय श्री यशपाल आर्य जैसे विद्वान अध्यक्षों ने निर्वहन किया और लोकतांत्रिक प्रणाली में सदन की कुछ मान्यतायें और परम्परायें रही हैं। सदन सुचारूरूप से चले, जिससे सभी माननीय सदस्यों के विचार और भावनायें जनता तक पहुँचे सकें। पूरे प्रदेश की जनता को हम सब से अनेक अपेक्षायें और उम्मीदें हैं। राज्य के विकास के लिए हमारी भूमिका रही है और रहेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार से अगर माननीय अध्यक्ष पीठ से कोई निर्देश होते हैं तो उसका अनुपालन न किया जाना या उसकी अवहेलना किया जाना, यह किसी व्यक्ति विशेष की अवहेलना की बात नहीं है यह पीठ की अवहेलना है और

ऐसी परम्परायें यदि हम बनायें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें अनेक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि कृपया पीठ से जो भी निर्देश हों उसका अनुपालन होना चाहिए और आपको विश्वास दिलाते हुए कि जो भी समस्यायें, जो भी विचार होंगे नियमों के अन्तर्गत आप द्वारा रखे जायेंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन विचारों और समस्याओं की सदन में चर्चा हो, दोनों पक्ष चाहे सत्तापक्ष हो, चाहे विपक्ष हो उनके विचारों का नियमों से निबटारा होगा मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नम्र शब्दों से कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

एक बार फिर में अनुरोध करना चाहूँगा कि पीठ से जिन–जिन नामों को निर्देशित किया गया था, वे पीठ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं, आपसे हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पीठ के प्रति हम सब का सम्मान है और मैं समझता हूँ कि कोई भी माननीय सदस्यगण की भावना यह नहीं है कि वह पीठ के प्रति कोई इस तरह की टीका टिप्पणी या कोई इस तरह की भावना प्रकट करे, जिससे पीठ के सम्मान को ठेस लगे या उसमें कोई कमी महसूस हो। माननीय अध्यक्ष जी, हम प्रदेश के विभिन्न कोनों से गरीब जनता, युवाओं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी समस्याओं को नियमों के तहत यहाँ पर उठाने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा कोशिश की है कि नियमों के तहत प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को आपके माध्यम से पटल पर रख सकें, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब से नई सरकार आई है.........।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से सरकार का अड़ियल रवैया है समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में, तो मजबूर होकर हम इस सदन में अपनी बात को, प्रदेश की गरीब जनता की बात को नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। मान्यवर, अगर नियम बनें हैं, परिनियम बने हैं तो प्रदेश की जनता के लिए बने हैं। यदि कोई नियम, परिनियम जनता के हित के खिलाफ हैं, हित में नहीं हैं तो हमें भी निश्चित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से आपने इस बात को गम्भीरता से लिया है। मैं समझता हूँ कि हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं है, पीठ के प्रति हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है।

लेकिन आप से निवेदन करना चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन और संरक्षण हमें चाहिए, क्योंकि विपक्ष को आप मदद नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे तो कैसे यह प्रदेश आगे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप संक्षेप में बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नियम–310 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सूचना थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, निश्चित रूप से यही परम्परा रही तो हम असमर्थ हैं। सम्पूर्ण विपक्ष पूरे बजट सत्र का बहिष्कार कर रहा है।

(नेता प्रतिपक्ष के साथ सम्पूर्ण विपक्ष ने सदन का त्याग किया।)

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–297 में सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यवस्था की गयी है। इसे मैं सदन के सम्मुख पढ़ रहा हूँ। इसमें स्पष्ट उल्लेख हैं कि ''अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाय वह तत्काल सभा मण्डप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे।'' श्रीमन्, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष का एक तरफा रवैया रहा है यह दुर्भाग्य पूर्ण है और यह यहाँ के संवैधानिक इतिहास में दुखद क्षण है जिस तरीके से विपक्ष द्वारा जनता के हितों से दूर रहकर सदन की पीठ की भी अवमानना लगातार होती रही है और आपके निर्देशों की भी लगातार अवहेलना होती रही है। जिस तरीके से विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना पूर्ण व्यवहार अपनाया है यह कदाचित इस प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तो ठीक नहीं है, इस प्रदेश के भविष्य के लिए भी विपक्ष का यह रवैया कदाचित अच्छा नहीं लगता है। श्रीमन्, अच्छा होता विपक्ष अपनी बात को यहाँ पर रखता और सरकार जवाब देती। श्रीमन्, आपके निर्देशों के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपके निर्देशों का लगातार पालन किया और सरकार की ओर से यह कहा गया कि जो कांग्रेस शासन काल में पहले शासनादेश हुआ था उसी शासनादेश को आज भी इस सरकार ने लागू किया है। न उसमें संशोधन हुआ और न परिवर्तन हुआ है। श्रीमन्, आपके निर्देश के बाद जबकि बहुत स्पष्ट तरीके से सरकार ने भी इसे स्वीकार किया और इस सम्बन्ध में सदन की एक

सर्वदलीय कमेटी भी बनी है। जिसमें बसपा और कांग्रेस के माननीय सदस्य भी हैं। यह सभी दलों की समिति है। तो श्रीमन, विधान सभा की उक्त उपसमिति को नजर अंदाज करना विपक्ष के द्वारा इस पूरे सदन का अपमान है। यह लोकतंत्र की आस्था पर भी गहरा आघात है। विपक्ष के द्वारा मान्यवर, जो समिति बनी थी, जब इसी सदन ने यह तय़ कर दिया था कि इस उपवेशन के अन्त में ही या विधान सभा का जो यह सत्र चल रहा है दूसरे अन्तिम दिन तक उसकी समय सीमा बढ़ा दी गयी है और सभी सहमत थे तो उस उपसमिति को भी नजरअंदाज करके उसकी भावनाएं भी आहत हुई हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, परम्पराओं को तो आघात पहुँचा ही है बल्कि विपक्ष ने यह भी साबित कर दिया है कि उनकी मंशा जाति प्रमाण–पत्र की नहीं थी, यह मंशा केवल सदन को नितांत अव्यवस्थित करने की है। यह मंशा यदि जाति प्रमाण–पत्र की विपक्ष की रहती तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। श्रीमन्, आपने स्पष्ट निर्देश दे दिया था। यदि एक भी उदाहरण हो इस प्रदेश में कि कोई अधिकारी उन नियमों का, उन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो, तो बताएं। इस सबके बावजूद भी विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, वह इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं है और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आपके आशीर्वाद से बहुत समय तक हम रहे, वहाँ पर भी विरोध होता था, अपनी बात सदस्य रखते थे लेकिन जिस तरीके से यहाँ आज पीठ के निर्देशों की अवहेलना हो रही है और सरकार के स्पष्ट आदेशों के बाद भी विपक्ष अड़ा है यह ठीक नहीं। सरकार कह रही है कि जो आप कह रहे हैं, वह हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई बात न सुनना यह साबित करता है कि इस प्रदेश की जनता के प्रति विपक्ष के मन में तनिक भी सम्मान नहीं है। वह इस प्रदेश की जनता का हित नहीं चाहते हैं, बल्कि केवल और केवल अपने निहित स्वार्थों को साधने के लिए इस महत्वपूर्ण सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। श्रीमन्, हम आपके आभारी हैं कि आपने सबको सुना, सबको समय भी दिया और सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पहले भी कह चुके थे कि आपके निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। श्रीमन्, विपक्ष की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को दिनांक 7 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 04 बजकर 57 मिनट पर दिनांक 07 मार्च, 2008 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :
दिनांक : 05 मार्च, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5–6 पर)

संख्या 41/पी0एस0/प्र0स0परिवहन/07

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. परिवहन आयुक्त,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

<u>परिवहन विभाग</u> देहरादून, दिनांक 12 मार्च, 2007

विषयः– यात्री वाहनों के दुर्घटना में मृतकों के आश्रित तथा घायल व्यक्तियों के लिए दुर्घटना राहत निधि की योजना को युक्तिसंगत बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि यात्री गाड़ियों की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को दुर्घटना राहत निधि से राहत दिये जाने की व्यवस्था है। यह धनराशि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के अनुसार दी जाती है। समय–समय पर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के आश्रितों एवं घायल व्यक्तियों को मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीनकोष से भी धनराशि दी जा रही है परन्तु राहत में एकरूपता न होने के कारण इस योजना को युक्तिसंगत बनाने एवं एकरूपता लाने का अनुभव किया गया है।

आपदा राहत कोष से दैवीय आपदा से मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 50.000.00 देने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि यात्री वाहनों की दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 50,000,.00 गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को रु0 20.000.00 तथा साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को रु0 5,000.00 की राहत दी जाय। यह राहत दिनांक 08–03–07 तथा उसके बाद हुई यात्री वाहन दुर्घटनाओं के मामलों में लागू होगा। इस हेतु उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में यथावश्यक संशोधन किया जा रहा है। नियमावली में संशोधन होने तक यात्री वाहन दुर्घटना राहत निधि से मृतक के परिजनों को रु0 20,000,.00 राहत की धनराशि दी जाय तथा अवशेष रु0 30,000,00 की सहायता मा0 मुख्यमंत्री जी के राहत कोष की धनराशि से दी जाय। गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को रु0 20,000,.00 तथा

साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को रु0 5,000,.00 की धनराशि यात्री वाहन दुर्घटना निधि से दी जाय। तात्कालिक रूप से धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में कोषागार नियम–27 के अन्तर्गत जिलाधिकारी यह धनराशि आहरित करेंगे तथा तत्काल वितरण सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् परिवहन आयुक्त तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से धनराशि प्राप्त करके इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायें।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि :
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाप ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

(नृप सिंह नपलच्याल)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 विधान सभा / 660–07–03–2009–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।